थाना कटरा
शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट - सराहनीय कार्य दिनांक – 16.02.2025

थाना कटरा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे के वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री - निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं सुश्री ज्योति यादव, क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 15.02.2025 को वादी द्वारा अपनी पत्नी ज्योति कश्यप (उम्र करीब 26 वर्ष) की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 085/2025 धारा 103(1)/3(5)/331(6) BNS पंजीकृत कराया था । मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ रिंकू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम कट्टैया थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 15.02.2025 को समय करीब 23.19 बजे खैरपुर चौराहे से जैतीपुर जाने वाले मार्ग पर थाना कटरा की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

आशीष उर्फ रिंकू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम कट्टैया थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर, उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान / समय

खैरपुर चौराहे से जैतीपुर जाने वाले मार्ग पर क्षेत्र थाना कटरा दि0 15.02.25 समय करीब 23.19 बजे

पूछताछ अभियुक्त – अभियुक्त आशीष उर्फ रिंकू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम कट्टैया थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब ज्योति पत्नी गुड्डू निवासी ग्राम कटैया थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर से मेरे करीब पाँच साल से सम्बन्ध थे तथा कई बार हमारे शारिरीक सम्बन्ध बने थे मुझे पिछले चार महीने से पता चला कि ज्योति ने अरुण पुत्र जयवीर निवासी कुसक थाना कटरा, शाहजहाँपुर से भी मिलना जुलना प्रारम्भ कर दिया था मुझे जानकारी होने पर मैने उससे मना किया था तथा इस दौरान ज्योति किसी अन्य तीसरे व्यक्ति से भी फोन पर वार्ता करने लगी थी जब भी मै फोन मिलाता था तो उसका नम्बर व्यस्त जाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था एवं कई कई दिनो तक मुझसे बात नही करती थी मैने उसे काफी समझाया था परन्तु वह नही मानती थी और मैने अरुण से भी कहा था कि इसे समझाओ परन्तु वह नही मानती थी अरुण ज्योति को मौसी बोलता था। हम दोनो ही उससे प्रेम करते थे। मै बराबर उसको खर्चा

देता था लेकिन अरुण ने मुझे बताया था कि मेरे भी उससे सम्बन्ध है। मैने दि0 14.02.25 को रात समय 09.36 बजे अरुण को फोन करके बुलाया था हम दोनो ने ज्योति को काफी समझाया परन्तु वह नही मानी कहने लगी कि जिससे भी मै चाहू उससे बात करूँ। हम दोनो ने उसे फिर भी समझाया था कि तू या तो अपने पति की बनकर रह या फिर हमारे भी साथ रह किसी तीसरे को बीच मे क्यो ला रही है किन्तु फिर भी मेरी चाची ज्योति नही मानी थी फिर हम दोनो ने गुस्से मे आकर उसका गला दबा दिया था और जब वह मर गयी थी तो हम दोनो मौके से भाग गये थे।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 85/2025 धारा 103(1)/3(5)/331(6) BNS थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 इतेश तोमर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 यू0टी0 प्रदीप कुमार रावत थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
4. म0उ0नि0 यू0टी0 अंशु चौधरी थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2300 अंकित नेहरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2316 राजीव कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर